

FORM NO. 03  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

अनवान

पटवारी हल्का बोरियापुरा

बनाम

तहसीलदार रायपुर

किस्म मुकदमा धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 2021/364 मु0न0 11 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
22/11/21	<p>राज्य सरकार के राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज- /2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अनुसार एवं 2 अक्टुबर 2021 से प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में आमजन से सम्बधित समस्याओं का निराकरण हेतु पालना की जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।</p> <p>ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित केम्प में पटवारी हल्का गलवा के द्वारा प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बोरियापुरा की चारागाह आराजी नम्बर 1979/1899 रकबा 6.14 है0 किस्म पड़त मे से 0.18 है0 भूमि जो रास्ते के रूप में उपयोग आ रही है जिसे राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाना है साथ में रिपोर्ट पटवारी भू.अ.नि. नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट पटवारी भू.अ. नि. एवं नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम बोरियापुरा की चारागाह आराजी नम्बर 1979/1899 रकबा 6.14 है0 मे से 0.18 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसे राजस्व रेकार्ड में चारागाह के बजाय गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।</p>	



*Am*

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	<p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन किया तो पाया कि पटवारी, भू.अ. नि. एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बोरियापुरा से मोहब्बतपुरा जाने वाला रास्ता जो ग्राम बोरियापुरा की चारागाह आराजी नम्बर 1979/1899 रकबा 6.14 है० मे से 0.18 है० भूमि किस्म पड़त सार्वजनिक रूप से रास्ते के उपयोग में आ रही है जबकि उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है। मौके पर जो भूमि जिस रूप में काम आ रही उसका उसी रूप में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होना आवश्यक है ताकि रेकार्ड और मौके की स्थिति में एकरूपता बनी रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित भूमि को गै.मु.रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।</p> <p>अतः राज्य सरकार के आदेश अनुसार आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरियापुरा की चारागाह आराजी नम्बर 1979/1899 रकबा 6.14 है० मे से 0.18 है० भूमि किस्म पड़त को राजस्व रेकार्ड में चारागाह किस्म पड़त के बजाय किस्म गै. मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	



*Om*

22.11.2021  
(सुन्दर लाल बम्बोडा)

उपरखण्ड अधिकारी, रायपुर (सहायक कलेक्टर, रायपुर, छत्तीसगढ़)  
उपरखण्ड अधिकारी, रायपुर (सहायक कलेक्टर, रायपुर, छत्तीसगढ़)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—

प्रार्थना पत्र

11/2021/364  
अनवीन

1—पटवारी हल्का बोरियापुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

1—तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम

प्रेषित :- तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत

अतः राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज- /2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक: प्र.गा.के संग/2021/10 दिनांक 22.11.2021 के अनुसार आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोरियापुरा की चारागाह आराजी नम्बर 1979/1888 रकबा 6.14 है० मे से 0.18 है० भूमि भूमि किस्म पड़त को राजस्व रेकार्ड में चारागाह के बजाय गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 22.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



*Sundar Lal Bumboda*

22.11.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा